



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29032021-226215
CG-DL-E-29032021-226215

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 29, 2021/चैत्र 8, 1943

No. 168]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 29, 2021/CHAITRA 8, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2021

सं. 33/2021-सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 217(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 154ग, उक्त अधिनियम की धारा 2 के उप-वाक्य (7ख) के साथ पठित, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, पंजीकरण, बिल ऑफ एंट्री को दायर करने, शिपिंग बिल, अन्य कागजात और फॉर्म जो कि उक्त अधिनियम या उसके अंतर्गत तत्समय लागू अन्य नियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियम या विनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किए गए हो, को दायर करने के लिए, शुल्क का भुगतान करने के लिए, उक्त अधिनियम के तहत या उक्त अधिनियम की धारा 156 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत या उक्त अधिनियम की धारा 157 के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अंतर्गत किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए और भारत के भीतर या उसके बाहर अन्य प्रणालियों से डाटा के आदान प्रदान के लिए यूनिफ़ोर्म रिसोर्स लोकेटर (URL) <https://www.icegate.gov.in>, कॉमन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल अधिसूचित करता है।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. 450/77/2021-सीमाशुल्क IV]

आनंद राधाकृष्णन, उप सचिव (सीमाशुल्क)

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th March, 2021

No. 33/2021-Customs (N.T.)

G.S.R. 217(E).—In exercise of the powers conferred by section 154C of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with clause (7B) of section 2 of the said Act, the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby notifies the common portal accessible through uniform resource locator (URL) <https://www.icegate.gov.in> as the Common Customs Electronic Portal for facilitating registration, filing of bills of entry, shipping bills, other documents and forms prescribed under the said Act or under any other law for the time being in force or the rules or regulations made thereunder, payment of duty, functions specified to be carried out through common portal through the said Act or rules made under section 156 of the said Act or regulations made under section 157 of the said Act and for data exchange with other systems within or outside India.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 450/77/2021-Cus.IV]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy. (Customs)